

न्यायालय— जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, हरिद्वार ।

वाद योजित तिथि — 06-01-2022

अंतिम सुनवाई तिथि — 22-07-2026

निर्णय उद्घोषित तिथि — 11-08-2026

शिकायत संख्या— DC/50/CC/12/2022

राजत्रेहन निवासी—चन्द्रलोक , निकट वानप्रस्थ आश्रम, ज्वालापुर, हरिद्वार,

उत्तराखण्ड-249407..... परिवादी ।

परिवादी की ओर से परिवादी 'स्वयं'

बनाम

1— ओयो रूम्स प्रा० लि०, 325, स्पेज आईटेक पार्क, सेक्टर-49, सोहना रोड,
गुडगाँव, हरियाणा-122103.

2— डैज ऑफ स्टूडियो हाउस, अपोजिट रेलवे स्टेशन, आशापुरा नगर, भुज

कच्छ, भुज, गुजरात-370001 विपक्षीगण ।

श्री प्रभाकर गुप्ता एडवोकेट

..... विपक्षी नं०-1

विपक्षी नं०-2 की ओर से कोई नहीं ।

कोरम :-

श्री गगन कुमार गुप्ता — अध्यक्ष

डा० अमरेश रावत — सदस्य

श्रीमती रंजना गोयल — सदस्य

परिवादी की ओर सेपरिवादी 'स्वयं' ।

विपक्षी नं०-1 की ओर सेश्री प्रभाकर गुप्ता एडवोकेट ।

उद्घोषित द्वारा :- डा० अमरेश रावत (सदस्य)

निर्णय

1— परिवादी द्वारा यह परिवाद विपक्षीगण के विरुद्ध परिवादी को उसके बुकिंग
होटल रूम उपलब्ध न कराने तथा इस बाबत अदा की गयी रूम बुकिंग धनराशि वापस न

किये जाने से व्यथित होने के कारण योजित किया गया है, जिसमें परिवादी के द्वारा निम्न अनुतोष दिलाये जाने हेतु प्रार्थना की गई है :-

(अ)- यह कि परिवादी को अंकन 1,879/-रु० की क्षतिपूर्ति विपक्षीगण से दिलायी जाये ।

(ब) यह कि परिवादी को ऑटोरिक्षा की क्षतिपूर्ति अंकन 150/-रु० विपक्षीगण से दिलायी जाये ।

(स) यह कि परिवादी के उत्पीड़न एवं मानसिक कष्ट के लिए अंकन 90,000/-रु० की धनराशि विपक्षीगण से दिलवायी जाये ।

(द) यह कि परिवादी को वाद व्यय के रूप में अंकन 1,000/-रु० तथा उक्त समस्त धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी विपक्षीगण से दिलवाया जाये ।

(द) यह कि अन्य अनुतोष जो आयोग उचित समझे, परिवादी को विपक्षीगण से दिलाया जाये ।

2- परिवादी द्वारा यह परिवाद उपभोक्ता अधिनियम 2019 की धारा 35 एवं धारा 38 के अधीन योजित किया गया है । परिवादी का कथन है कि विपक्षी सं०-1 एक वाणिज्यिक कम्पनी है, जो होटल व्यवसायरत है एवं विपक्षी नं०-2 एक होटल है, जो विपक्षी नं०-1 के पास **Oyo 46244** के रूप में पंजीकृत है । परिवादी का कहना है कि दिनांक 24 सितम्बर, 2019 को वह स्वयं एवं उसका मित्र विपक्षी नं०-2 के होटल परिसर में **Confirm टिकट No.LSJK5408** लेकर पहुँचे, जिसकी बुकिंग अंकन 1,582/-रु० में विपक्षी नं०-1 द्वारा **Confirm** की गई थी । परिवादी ने जब विपक्षी सं०-2 से कहा कि वह अपने होटल में रुकने दें, परन्तु उनके द्वारा यह कहकर अस्वीकार किया गया कि उनका विपक्षी सं०-1 के साथ धनराशि भुगतान का विवाद है । तत्पश्चात विपक्षी नं०-1 द्वारा **Oyo 38589** से राजगुरु गेस्ट हाउस अंकन 1,879/-रु० में परिवादी के लिए बुक किया । परिवादी एवं उसके मित्र के पास अन्य विकल्प न होने के कारण, अधिक धनराशि एवं कम सुविधाओं वाले उक्त होटल में रुकना पड़ा, जिसके लिए उनके 150/-रु० ऑटो रिक्शा के भी खर्च करने पड़े । परिवादी द्वारा विपक्षी को दो बार अपनी शिकायत दर्ज कराई गई । प्रथम बार परिवादी द्वारा राष्ट्रीय हेल्प लाईन **Grievance No. 2699320 Dated 23/04/2021** पर शिकायत दर्ज कराई गयी, जिसके आधार पर विपक्षी सं०-1 द्वारा दिनांक 27-04-2021 को अपनी भूल स्वीकार की गई । परिवादी को केवल डिस्काउन्ट वाउचर अंकन 300/-रु० के अलावा अन्य भुगतान करने से मना कर दिया । परिवादी द्वारा विपक्षीगण को एक विधिक नोटिस

दिनांक 03-05-2021 को भेजा गया, जिसके उत्तर में विपक्षी नं0-1 द्वारा केवल **Differential** धनराशि अंकन 182/-रु0 एवं एक डिस्काउन्ट वाउचर अंकन 200/-रु0 को अगली बुकिंग के लिए ऑफर दिया । जबकि विपक्षी नं0-2 के द्वारा प्रश्नगत विधिक नोटिस का उत्तर यह कहकर दिया गया कि वह परिवादी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। परिवादी को समयान्तर्गत होटल बुकिंग न मिलना एवं उसके पश्चात मंहगा होटल रुम दिलाया जाना, जिसमें सुविधाओं का अभाव था तथा उक्त के बावजूद परिवादी को उसकी बुकिंग की धनराशि वापस न लौटाने से परिवादी विपक्षीगण को जिम्मेदार मानता है, जिससे व्यथित होकर परिवादी द्वारा यह परिवाद योजित किया गया है ।

परिवादी ने शिकायत के साथ सूची कागज सं0-4 के द्वारा विपक्षी नं0-2 के होटल में रुम बुक किये जाने संबंधी रसीद दिनांकित 23-09-2019 की छायाप्रति, अल्टरनेट होटल बुकिंग दिनांकित 24-09-2019 की छायाप्रति, **NCH Grievance Dated 23-04-2021** की छायाप्रति, विपक्षी नं0-1 द्वारा प्रेषित उत्तर पत्र दिनांकित 27-04-2021 की छायाप्रति, लीगल नोटिस दिनांकित 03-05-2021 की छायाप्रति एवं विपक्षीगण से हुए अन्य पत्राचार की छायाप्रतियों को प्रस्तुत किया, जो कागज सं0-4/1 ता 4/26 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध हैं ।

3- विपक्षी नं0-1 की ओर से शिकायत के विरुद्ध अपना जवाबदावा कागज सं0-8/1 ता 8/22 पत्रावली पर उपलब्ध कराया गया, जिसमें उनका कथन है कि विपक्षी नं0-1 **Oyo** होटल व होम्स प्रा0 लि0 है तथा श्रीमती अम्बिका सराफ उनकी अधिकारिक प्रतिनिधि है और उनके द्वारा ही परिवाद में लिखित कथन प्रस्तुत किया गया है । विपक्षी नं0-1 का यह भी कथन है कि वह परिवाद के सभी तथ्यों को अस्वीकार करता है, क्योंकि परिवादी द्वारा यह परिवाद दुर्भावना से अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए योजित किया गया है । विपक्षी नं0-1 एक रजिस्टर्ड कम्पनी है, जोकि अपने उपभोक्ताओं को वेबसाइट के माध्यम से होटल रुम पूरे भारत में बुक करवाती है और वर्तमान में भारत के लगभग 13,500/-रु0 होटल उनके पास लिस्ट में हैं । विपक्षी नं0-1 का कथन है कि वह होटल रुम की बुकिंग स्वयं नहीं करता है । बल्कि बुकिंग स्वयं उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है, वह केवल उपभोक्ताओं को एक प्लेटफार्म एवं ऑन लाईन होटल रुम की लिस्ट उपलब्ध करवाता है । उपभोक्ताओं द्वारा जो भी आवश्यकताएँ ऑन लाईन रुम बुकिंग के समय भरी जाती है, तदनुसार उनकी आवश्यकतानुसार बुकिंग डिटेल होटल फ्रंट होटल मैनेजर को भेजी जाती है। उक्त डिटेल में उपभोक्ता की बुकिंग आईडी0 एवं रूकने का समय व **Oyo** छूट आदि बातों का उल्लेख होता है । विपक्षी सं0-1 का आगे कथन है कि उनके द्वारा परिवादी के प्रकरण में आन्तरिक अन्वेषण किया गया, जिसमें यह पाया गया कि पहली बुकिंग के असफल

होने के उपरान्त परिवादी द्वारा अंकन 1,879/-रु0 की दूसरी बुकिंग स्वीकार की गई एवं जो भी परिवादी को अधिक धनराशि अंकन 182/-रु0 खर्च करनी पड़ी, उस विचार करके विपक्षी सं0-2 द्वारा भी अंकन 500/-रु0 उक्त में जोड़कर अगली **Oyo** बुकिंग में वॉलेट के माध्यम से देने के लिए कहा । दिनांक 26-04-2021 को नेशनल उपभोक्ता हेल्प लाईन से विपक्षी सं0-1 को शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें अंकन 500/-रु0 समाहित करने का प्रश्न उठाया गया था । पुनः विपक्षी सं0-1 द्वारा अच्छी नियत दिखाते हुए अंकन 300/-रु0 **Complimentary** भविष्य में बुकिंग में छूट देने के लिए कहा गया । उक्त सभी के उपरान्त दिनांक 08-02-2022 को विपक्षी सं0-1 के कस्टमर केयर के द्वारा परिवादी की आशा के अनुसार अंकन 1,879/-रु0 का प्रस्ताव दिया गया तथा परिवादी से उसका बैंक खाता विवरण धनराशि वापस देने के लिए माँगा गया परन्तु परिवादी द्वारा दिनांक 14-02-2022 को उक्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया । विपक्षी द्वारा अपने कथन में स्वयं **Oyo** एवं उसके **Patron** के मध्य करार की शर्तों का वर्णन किया गया है, जिसमें **Oyo** होटल पॉलिसी, नियम व शर्तें, गेस्ट पॉलिसी आदि तथ्यों का जिक्र किया गया है । विपक्षी नं0-1 का आगे यह भी कथन है कि उसके द्वारा अंकन 1000/-रु0 अतिरिक्त रिफण्ड धनराशि अंकन 1,879/-रु0 परिवादी को देने के लिए तैयार है, जिसे परिवादी द्वारा अस्वीकार किया गया है । विपक्षी सं0-1 द्वारा परिवाद निस्तारण का पूरा प्रयास किया गया परन्तु परिवादी यह नहीं चाहता है, इसलिए परिवादी किसी उपचार का हकदार नहीं है । विपक्षी सं0-1 द्वारा प्रारम्भिक आपत्तियों में वाद कारण, सेवा में कोई कमी नहीं एवं अनुचित व्यापार व्यवहार तथा उत्तरदायित्व की परिसीमा पर आपत्ति की गई है । विपक्षी नं0-1 द्वारा अपने पैरावाइज उत्तर में पूर्व में किये गये कथनों की ही पुनरावृत्ति की गई है । विपक्षी सं0-1 ने उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर परिवाद को मय खर्चा निरस्त करने की इस आयोग से प्रार्थना की है ।

विपक्षी नं0-1 ने अपने जवाबदावा के साथ अम्बिका सराफ (अधिकृत प्रतिनिधि) का शपथपत्र कागज सं0-8/23 प्रस्तुत किया गया, जिसके साथ उन्होंने संबंधित प्रपत्रों की छायाप्रतियाँ प्रस्तुत की, जो कागज सं0-8/24 ता 8/68 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध हैं ।

4- विपक्षी नं0-2 की ओर से शिकायत के विरुद्ध कोई जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया, जिस कारण आयोग के आदेश दिनांकित 23-09-2022 के द्वारा विपक्षी नं0-2 के जवाबदावे का अवसर किया गया ।

5- परिवादी ने विपक्षी नं0-1 द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के विरुद्ध अपनी प्रति आपत्ति कागज सं0-10/1 ता 10/5 प्रस्तुत की, जिसके साथ सूची कागज सं0-11 के द्वारा विपक्षी

नं०-1 को की गयी ई-मेल दिनांकित 08-02-2022 की छायाप्रति कागज सं०-11/1 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध करायी । इसके अतिरिक्त परिवादी ने अपने कथनों की पुष्टि हेतु शपथपत्र कागज सं०-11/2 ता 11/3 एवं एक अन्य शपथपत्र कागज सं०-12/1 ता 12/2 को पत्रावली पर प्रस्तुत किया है ।

6- इस प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से अपना कोई साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस कारण विपक्षीगण के साक्ष्य शपथपत्र का अवसर आयोग के आदेश दिनांकित 30-01-2026 के द्वारा समाप्त कर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी ।

7- परिवादी की ओर से अपनी लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जो कागज सं०-17/1 ता 17/4 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है ।

8- इसके बाद परिवादी की ओर से अपनी शिकायत से संबंधित लिखित तर्क भी प्रस्तुत किये, जो कागज सं०-18/1 ता 18/7 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध हैं ।

9- विपक्षी नं०-2 की ओर से इस प्रकरण में शिकायत के विरुद्ध न तो कोई जवाबदावा दाखिल किया गया और न ही उनकी ओर से अपना कोई साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिस कारण दिनांक 23-09-2022 को उनके जवाबदावे का अवसर जबकि विपक्षी नं०-2 के साक्ष्य शपथपत्र का अवसर आयोग के आदेश दिनांकित 30-01-2026 के द्वारा समाप्त किया गया है तथा आदेश दिनांकित 22-07-2026 के द्वारा विपक्षी नं०-2 के विरुद्ध परिवाद की कार्यवाही एकपक्षीय रूप से अग्रसारित की गयी है ।

10- पीठ द्वारा परिवादी के विद्वान अधिवक्ता के मौखिक तर्कों/बहस को सुना गया तथा पत्रावली का समग्र परिशीलन किया ।

11- प्रस्तुत परिवाद में विपक्षीगण द्वारा परिवादी को उसकी दूसरी होटल बुकिंग धनराशि तत्समय भुगतान न करने एवं उक्त से हुई अन्य हानि की क्षतिपूर्ति न देने के कारण परिवादी को वाद कारण उत्पन्न हुआ है । परिवाद के उचित निस्तारण हेतु निम्न वाद बिन्दु अवधार्य किया जाता है :-

(क) क्या विपक्षीगण द्वारा परिवादी से प्रश्नगत होटल बुकिंग धनराशि तत्समय वापस भुगतान न करके परिवादी के प्रति सेवा में कमी कारित की गयी है ?

वाद बिन्दु 'क' का निस्तारण :- इस वाद बिन्दु हेतु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का परिशीलन किया गया । पक्षकारों के मध्य यह अविवादित है कि परिवादी द्वारा विपक्षी सं०-1 के ऑन लाईन प्लेटफार्म **Oyo** से विपक्षी सं०-2 के होटल में रुम अंकन 1,528/-रु० में बुक करवाया था । उक्त बुकिंग को विपक्षी सं०-2 द्वारा अस्वीकार किया

गया । विपक्षी नं०-1 द्वारा जब पुनः बुकिंग परिवादी व उसके मित्र के लिए की गई तो परिवादी द्वारा इसे स्वीकार किया गया परन्तु परिवादी विपक्षी सं०-1 से प्रश्नगत प्रथम होटल रूम बुकिंग कैंसिल होने के कारण अंकन 1,879/-रु० दूसरी बुकिंग में खर्च धनराशि विपक्षीगण से वापस चाहता है । उक्त तथ्यों की पुष्टि परिवादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य कागज सं०-4/1 ता 4/4 से होती है । स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा अपनी प्रश्नगत होटल बुकिंग की धनराशि की माँग विपक्षी सं०-1 से की गयी तो विपक्षी नं०-1 द्वारा समय-समय पर परिवादी द्वारा प्रश्नगत प्रथम बुकिंग धनराशि अंकन 1,528/-रु० वापस न करके उसे विभिन्न डिस्काउन्ट कूपन ऑफर के माध्यम से, जो अग्रिम बुकिंग पर लागू होनी थी । उक्त कूपन की पुष्टि परिवादी द्वारा प्रेषित ई-मेल जिसे पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य कागज सं०-4/11 ता 4/14 के रूप में प्रस्तुत किया गया है, से होती है । उपरोक्त ई-मेल का वर्णन विपक्षी सं०-1 द्वारा अपने लिखित कथनों के साथ दस्तावेजी साक्ष्य में भी किया गया है । उक्त सभी के उपरान्त विपक्षी नं०-1 का कथन है कि वह परिवादी के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में हुई क्षतिपूर्ति के लिए दिये गये ऑफर के पश्चात परिवादी की इच्छा के अनुरूप उसको 1,000/-रु० **Complimentary** धनराशि के साथ प्रश्नगत पूरा रिफण्ड अंकन 1,879/-रु० देना चाहता है, जिसे परिवादी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया । उक्त कथन की पुष्टि के लिए उनके द्वारा दस्तावेज कागज सं०-11/1 प्रस्तुत किया गया है, जो केवल अंकन 1,879/-रु० धनराशि वापस करने का ई-मेल परिवादी को किया गया है, जिसे परिवादी द्वारा अस्वीकार किया गया है । विपक्षी सं०-1 के उक्त कथन के बारे में परिवादी का यह अभिकथन है कि उनके द्वारा यह प्रस्ताव दिनांक 08-02-2022 को भेजा गया था, जबकि उससे पूर्व दिनांक 06-01-2022 को यह परिवाद योजित हो चुका था । इसलिए विपक्षी नं०-1 द्वारा देरी से परिवादी को उक्त प्रस्ताव भेजा, जिस कारण परिवादी द्वारा विपक्षी सं०-1 का प्रस्ताव अस्वीकार किया गया, क्योंकि तब तक परिवादी को काफी मानसिक व आर्थिक क्षति पहुँच चुकी थी परन्तु परिवादी द्वारा उसे अस्वीकार किये जाने से ही विपक्षी नं०-1 के कथन न्यायोचित नहीं हो जाते क्योंकि उसने परिवादी को प्रश्नगत क्षतिपूर्ति का प्रस्ताव भेज दिया था । चूँकि प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी सं०-1 द्वारा भेजा गया प्रस्ताव वाद योजित होने के उपरान्त भेजा गया है, जिससे परिवाद के गुण-दोष पर कोई अन्तर नहीं पड़ता है । अतः स्पष्ट है कि विपक्षी सं०-1 के अभिकथनों के माध्यम से परिवादी की शिकायत की स्वीकारोक्ति प्रतीत होती है, जिसका निस्तारण विपक्षी नं०-1 वाद के दौरान भी कराना चाहता था परन्तु परिवादी की अस्वीकृति से पक्षकारों के मध्य परिवाद के निस्तारण की कार्यवाही नहीं हो सकी । उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी सं०-1 परिवादी के अंकन 1,879/-रु० देने से तत्समय मना करना विपक्षी नं०-1 की लापरवाही को दर्शाता है, जिसके लिए वह स्वयं व्यक्तिगत रूप से परिवादी के प्रति सेवा में

कमी के लिए उत्तरदायी है ।

12— इस प्रकरण में परिवादी एवं केवल विपक्षी नं०-1 के मध्य उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता के सम्बन्धों की विद्यमानता है । विपक्षी नं०-1 द्वारा परिवादी को तत्समय प्रश्नगत धनराशि वापस न करके परिवादी के प्रति सेवा में कमी एवं अनुचित व्यापार-व्यवहार कारित किया गया है ।

13— प्रस्तुत परिवाद में विपक्षी नं०-1 द्वारा दिनांक 08-02-2022 को परिवादी के द्वारा माँगी गयी पूरी धनराशि अंकन 1,879/-रु० देने की पेशकश की गयी है । जबकि विपक्षी नं०-2 के द्वारा इस प्रकरण में किसी भी स्तर पर अपना कोई पक्ष नहीं रखा गया है, इसलिए विपक्षी नं०-2 के विरुद्ध इस प्रकरण में आदेश दिनांकित 22-07-2026 के द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही अग्रसारित की गयी । विपक्षी नं०-2 सेवा प्रदाता की श्रेणी में शामिल नहीं है, क्योंकि परिवाद की घटना में उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है, फलस्वरूप उनके विरुद्ध परिवाद अस्वीकार किये जाने योग्य है परन्तु विपक्षी सं०-1 परिवादी को तत्समय द्वितीय होटल रूम बुकिंग धनराशि का पुनर्भुगतान न करने के लिए उत्तरदायी है ।

14— अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पीठ का अभिमत है कि विपक्षी सं०-1 द्वारा परिवादी को तत्समय प्रश्नगत धनराशि वापस न करके परिवादी के प्रति सेवा में कमी कारित की गयी है, जिसके लिए विपक्षी नं०-1 उत्तरदायी है और ऐसी स्थिति में परिवादी का यह परिवाद विपक्षी नं०-1 के विरुद्ध स्वीकार किये जाने योग्य है ।

आदेश

परिवादी का परिवाद विपक्षी नं०-1 के विरुद्ध सव्यय स्वीकार किया जाता है । विपक्षी नं०-1 को आदेशित किया जाता है कि वह आदेश की तिथि से 45 दिन के भीतर परिवादी को प्रश्नगत द्वितीय होटल की बुकिंग धनराशि अंकन 1,879/-रु० (एक हजार आठ सौ उनयासी) एवं ऑटो रिक्शा व्यय अंकन 150/-रु० (एक सौ पचास) सहित कुल धनराशि अंकन 2,029/-रु० (दो हजार उनतिस रुपये) का भुगतान करना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त विपक्षी नं०-1 मानसिक कष्ट व शारीरिक क्षति के रूप में अंकन 15,000/-रु० (पन्द्रह हजार) और वाद व्यय के रूप में अंकन 8,000/-रु० (आठ हजार) की धनराशि भी परिवादी को उपरोक्त समयान्तर्गत अदा करें ।

उक्त आदेश का अनुपालन निर्धारित समयावधि में न करने की स्थिति में विपक्षी नं०-1 उक्त समस्त आदेशित धनराशि का भुगतान 10 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से (परिवाद योजित करने की तिथि से अंतिम अदायगी की तिथि तक) परिवादी को

अदा करने हेतु उत्तरदायी होगा ।

विपक्षी नं०-2 के विरुद्ध परिवाद निरस्त किया जाता है ।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के अन्तर्गत इस निर्णय की एक-एक प्रति उभय पक्षों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाये तथा इस निर्णय को पक्षकारों के अवलोकनार्थ आयोग की वेबसाइट पर तुरन्त अपलोड करना सुनिश्चित करें ।

(रंजना गोयल)

(डा० अमरेश रावत)

(गगन कुमार गुप्ता)

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

दिनांकित-11-08-2026

आज यह निर्णय एवं आदेश जिला आयोग द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर उद्घोषित किया गया ।

(रंजना गोयल)

(डा० अमरेश रावत)

(गगन कुमार गुप्ता)

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष

दिनांकित-11-08-2026